प्रवेश और फीस नियमन समिति
उत्तर प्रदेश शासन
संख्या– 357/प्र0फी0नि0स0/2018
लखनऊः दिनांक 08 अगस्त, 2018

– आदेश –

मेट्रो कालेज ऑफ हेल्थ साइन्स एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा। (कोड–852)

समिति द्वारा संस्थान के सत्र 2018–19 से प्रारम्भ होने तथा आय–व्यय के अभिलेख उपलब्ध न होने के कारण संस्थान पर समिति के निर्णयानुसार प्रवेश एवं फीस नियमन समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क अनुमन्य।

अधिनियम–2006 की धारा–14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या–4781/ सोलह–1–2015–14(34)/2015 दिनांक 22.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थाओं में (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली–2015 निर्गत की गयी है, जिसमें दिये गये प्राविधानुसार निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों के शुल्क का निर्धारण किया जाना है।

2. उक्त विनियमावली–2015 के अनुपालन में समिति के आदेश संख्या–64/प्र0फी0नि0 स0/2018 दिनांक 19 जून, 2018 द्वारा निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थानों हेतु निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया गया हैः–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	बी0टेक0	55000.00
02	बी0फार्मा0	63300.00
03	बी0आर्क0	57730.00
04	बी0एफ0ए0	85250.00
05	बी0एफ0ए0डी0	85250.00
06	बी0एच0एम0सी0टी0	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम0सी0ए0	55000.00
09	एम0फार्मा0	68750.00
10	एम0आर्क0	57500.00
11	एम0टेक0	57500.00

3. संस्थान द्वारा विनियमावली–2015 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार संस्थान द्वारा मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारण कराने हेतु ऑन–लाइन आवेदन किया गया जो कि अपूर्ण था, तत्क्रम में समिति द्वारा संस्थान को दिनांक 26.07.2018 को सुनवाई का अवसर

प्रदान करते हुए आवश्यक अभिलेखों को प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान किया गया। संस्थान की ओर से डा0 कनक लता, डायरेक्टर ऑफ एजूकेशन, डा0 सुरेन्द्र लालावानी एवं रिवन्त कुमार झा ने बैठक में प्रतिभाग किया। संस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि संस्थान में बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम सत्र 2018–19 से प्रारम्भ हो रहा है। नई संस्था होने के कारण प्रतिनिधियों द्वारा बैलेन्स सीट उपलबध कराने में असमर्थता व्यक्त की गयी। अतः समिति द्वारा संस्थान हेतु निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 हेतु अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया।

4. उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क शैक्षिक सत्र 2018–19 से आगामी दो वर्षो (कुल तीन वर्ष) के लिए लागू होगा। निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित है। यह शिक्षण शुल्क सत्र 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21 में प्रवेशित छात्रों से लिया जाना होगा। पूर्व से प्रवेशित छात्र–छात्रओं से इनके प्रवेश के वर्ष में निर्धारित शिक्षण शुल्क ही लिया जाना प्रभावी रहेगा।

5. समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की सूचना समिति की अधिकृत वेब–साइट www.afrcup2018.in पर प्रदर्शित है तथा संस्था द्वारा भी इस आदेश की प्रति प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर निर्धारित शुल्क की सूचना अपनी अधिकृत वेब–साइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।

Khan

(एफ0आर0 खान)
सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव–
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक/प्राचार्य, मेट्रो कालेज ऑफ हेल्थ साइन्स एण्ड रिसर्च, ग्रेटर नोयडा।
2. कुल सचिव, डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. अनुसचिव, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

Khan

(एफ0आर0 खान)
सचिव